सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फ़ा सं. NCST/DEV-1068/OR/19/2022-ESDW दिनांक : **20.12.2024**

सेवा मे,

सुश्री माधवी मिश्रा,
उपायुक्त, धनबाद,
समाहरणालय भवन,
प्रधान डाकघर के पास,
धनबाद -826001,झारखंड
ई-मेल: dc-dha@nic.in

विषय: बी० सी० सी० एल० द्वारा हमारे पूर्वजों के जमीन मौज़ा - दरिदा, थाना न.० - 120, खाता संख्या - 05,06,07,08,09,10,11,12 एवं 13 कुल रकवा 220 एकड़ 81 डी० जमीन पर अवेध कब्जा करने के संबंध मे

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 03.12.2024 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित है।

आपसे अनुरोध है कि सिटिंग के कार्यवृत्त मे की गयी अनुशंसाओं पर अनुपालन रिपोर्ट/की गई कार्रवाई की / रिपोर्ट 30 दिनों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करने का कष्ट करें ।

संलग्न:यथोपरि।

भवदीय,

(एच.आर. मीना /H.R. Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
ई-मेल : hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्रीमती मानो देवी,
पता ग्राम- सिंदवारटाड पोस्ट-पोचरी,
थाना- बरोरा, जिला- धनबाद (झारखंड)
मो० - 9693702346

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.सं. NCST/DEV-1068/OR/19/2022-ESDW

बी० सी० सी० एल० द्वारा हमारे पूर्वजों के जमीन मौज़ा - दरिदा, थाना न.० - 120, खाता संख्या - 05,06,07,08,09,10,11,12 एवं 13 कुल रकवा 220 एकड़ 81 डी० जमीन पर अवेध कब्जा करने के संबंध मे श्रीमती मानो देवी, पति श्री मनसा टूडू, पता ग्राम- सिंदवारटाड पोस्ट-पोचरी, थाना- बरोरा, जिला- धनबाद (झारखंड) की शिकायत के मामले में आयोग के माननीय सदस्य (डॉ. आशा लकड़ा) के समक्ष दिनांक 03.12.2024 को हुई सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग /सुनवाई की दिनांक	:	03/12/2024 को 11:30 बजे
सिटिंग /सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी	:	अनुलग्नक-। के अनुसार।

श्रीमती मानो देवी, ग्राम सिंदवारटाड, धनबाद, झारखंड की निवासी हैं, जो अपनी पूर्वजों की भूमि पर बीसीसीएल द्वारा अवैध खनन और निर्माण के खिलाफ 23 जून 2015 से संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने कई बार अधिकारियों से आवेदन किया, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। 17 अक्टूबर 2016 को उन्होंने धरना शुरू किया, जो 8 महीने तक चला। इसके बाद भी संघर्ष जारी रखते हुए, 2018 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बावजूद बीसीसीएल ने खनन जारी रखा। 01 जून 2021 को फिर से धरना देने पर बीसीसीएल ने उन्हें और उनके पति को साजिशपूर्वक जेल भेज दिया।

2. आयोग द्वारा इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगे जाने हेतु उपायुक्त , धनबाद , झारखण्ड को आयोग की ओर से नोटिस दिनांक 02.01.2023 भेजा गया। आयोग के नोटिस के सन्दर्भ में कोई उत्तर / रिपोर्ट न प्राप्त होने पर आयोग के माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) द्वारा दिनांक 03.12.2024 को सिटिंग/सुनवाई तय की गई तदनुसार सम्बंधित प्राधिकारियों को सिटिंग /सुनवाई नोटिस जारी किए गए ।

3. सुनवाई के दौरान उपायुक्त, जिला-धनबाद, झारखंड आयोग के समक्ष उपस्थित हुए | शिकायतकर्ता सुनवाई में अनुपस्थित रहे।

4. मामले में सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

i. मामले में, उपायुक्त, जिला-धनबाद, झारखंड एवं अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, बीसीसीएल के साथ समन्वय स्थापित कर कथित भूमी का रिकॉर्ड सम्बंधित विभाग से प्राप्त कर शिकायतकर्ता की शिकायत का निवारण सुनिश्चित करें।

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिन के भीतर आयोग को भेजने की व्यवस्था करें |

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
New Delhi